



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236651  
CG-DL-E-16062022-236651

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944

No. 310]

NEW DELHI THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

फा.सं. सी-603/लद्दाख पीसीसी/विधि-2021.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, की सहमति से लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के नामांकन के संबंध में भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या फा.सं. सी-603/लद्दाख पीसीसी/विधि-2021, दिनांक 25.03.2021 प्रकाशित की थी एवं उसके पश्चात अधिसूचना संख्या फा.सं. सी-603/लद्दाख पीसीसी/विधि-2021, दिनांक 07.03.2022 अधिसूचित की थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, की सहमति से लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के नामांकन को दिनांक 25.03.2022 से आगामी 01 वर्ष की अवधि हेतु अथवा अध्यक्ष और सदस्य सचिव के पद की मंजूरी होने, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित करता है।

तन्मय कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./129/2022-23]

**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD****NOTIFICATION****New Delhi, the 3<sup>rd</sup> June, 2022**

**F. No. C-603/Ladakh PCC/Legal 2021.** —In exercise of the power conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), and with the concurrence of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, the Central Pollution Control Board had published Principal notification in Gazette of India vide F. No. C-603/Ladakh PCC/Legal-2021, dated 25.03.2021 and subsequently notified vide notification no. F. No. C-603/Ladakh PCC/Legal-2021, dated 07.03.2022 in respect of nomination of Chairman and Member Secretary of UT of Ladakh Pollution Control Committee.

Central Pollution Control Board, hereby, with the concurrence of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, extends the nomination of Chairman and Member Secretary of Ladakh Pollution Control Committee with effect from 25.03.2022 for a further period of 01 year or sanction of the post of Chairman and Member Secretary, whichever is earlier.

TANMAY KUMAR, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./129/2022-23]